रा.प्र.नि.म.

वार्षिक प्रतिवेदन

2013-14

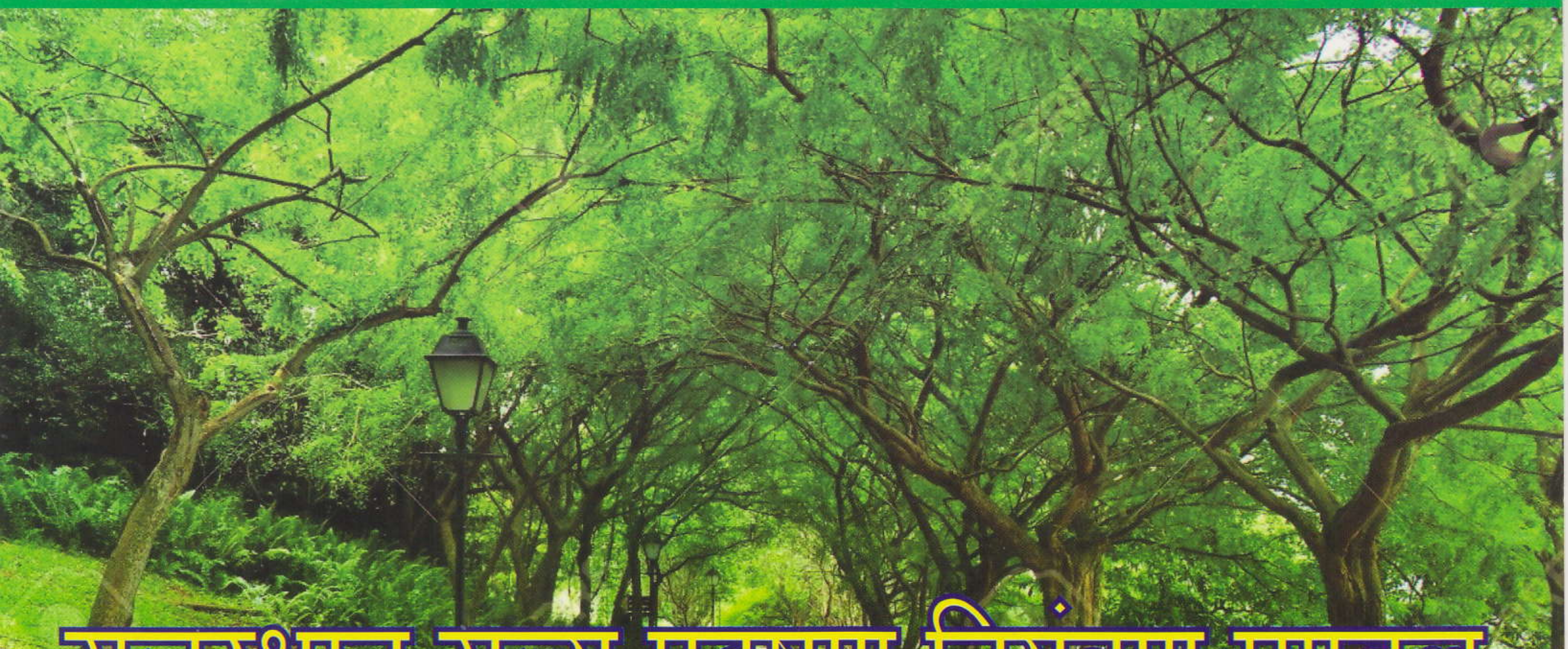

राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल

4, संस्थानिक क्षेत्र, झालाना डूंगरी, जयपुर - 302 004
Website : http://www.rpcb.nic.in

राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल

वार्षिक प्रतिवेदन (2013–2014)

परिचय

औद्योगीकरण के सतत विस्तार तथा जनसंख्या में लगातार वृद्धि के फलस्वरूप जल एवं वायु प्रदूषण की समस्या व्यापक स्वरूप धारण करती जा रही है। इस संदर्भ में समुचित पर्यावरणीय संतुलन स्थापित करना और अनेकानेक स्त्रोतों से होने वाले प्रदूषण पर पर्याप्त नियंत्रण रखना, आर्थिक विकास से संबंधित सभी नीतियों का एक अत्यंत आवश्यक आयाम बन गया है। तत्संबंधी विभिन्न प्रयासों में राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल भी अपना महत्वपूर्ण सहयोग प्रदान कर रहा है।

केन्द्रीय जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा 4 में निहित दायित्वों के निर्वहन में, राज्य सरकार द्वारा फरवरी 1975 में राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल का गठन किया गया। मण्डल का मुख्य उद्देश्य जल एवं वायु प्रदूषण से संबंधित विभिन्न गतिविधियों का नियंत्रण एवं नियमन सुनिश्चित करना है। मण्डल मूलतः निम्नलिखित अधिनियमों एवं इनके अन्तर्गत प्रसारित अधिसूचनाओं तथा नीति–निर्देशों की अनुपालना कराने के लिए उत्तरदायी हैः–

1. जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1974.
2. जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) उपकर अधिनियम, 1977.
3. वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981.
4. पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986.
5. लोक दायित्व बीमा अधिनियम, 1991.

मण्डल का गठन

मण्डल का गठन राज्य सरकार द्वारा केन्द्रीय जल अधिनियम में तत्संबंधी वर्णित प्रावधानों के अनुसार किया गया है। मण्डल में पूर्णकालिक अध्यक्ष के अतिरिक्त एक पूर्णकालिक सदस्य–सचिव तथा 15 अंशकालिक सदस्य मनोनीत हैं। वर्ष 2013–14 के दौरान मण्डल का गठन निम्नानुसार रहा :–

1	श्री संकठा प्रसाद (फरवरी, 2013 तक) श्रीमती अपर्णा अरोरा (फरवरी, 2013 से)	अध्यक्ष
2	डॉ. डी. एन. पाण्डेय	सदस्य–सचिव
3	प्रमुख शासन सचिव, नगरीय विकास एवं आवासन विभाग या उनके प्रतिनिधि जो उप शासन सचिव स्तर से नीचे का न हो	सदस्य (सरकारी)
4	शासन सचिव, पर्यावरण विभाग	सदस्य (सरकारी)
5	आयुक्त, परिवहन विभाग	सदस्य (सरकारी)
6	निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग	सदस्य (सरकारी)
7	विशेषाधिकारी, वित्त (व्यय–3)विभाग	सदस्य (सरकारी)

8	प्रबन्ध निदेशक, रीको, जयपुर	सदस्य (बोर्ड या निगम)
9	प्रबन्ध निदेशक, जयपुर डिस्कॉम	सदस्य (बोर्ड या निगम)
10	श्री रामेश्वर दाधीच, महापौर, नगर निगम, जोधपुर	सदस्य (स्थानीय निकाय)
11	डॉ. रतना जैन, महापौर, नगर निगम, कोटा	सदस्य (स्थानीय निकाय)
12	श्री कमल बाकोलिया, महापौर, नगर निगम, अजमेर	सदस्य (स्थानीय निकाय)
13	श्री भवानी शंकर शर्मा, महापौर, नगर निगम, बीकानेर	सदस्य (स्थानीय निकाय)
14	श्री केवल चन्द गुलेच्छा, अध्यक्ष, नगर परिषद, पाली	सदस्य (स्थानीय निकाय)
15	श्री डी.पी.गोविल, (रिटायर्ड आई.एफ.एस.) (जुलाई, 2013 तक) श्री आर. जी. सोनी (जुलाई, 2013 से)	सदस्य (गैर सरकारी)
16	डॉ. ए. बी. गुप्ता, प्रोफेसर, एम.एन.आई.टी., जयपुर	सदस्य (गैर सरकारी)
17	श्री दुर्गेश बांगड़, कंचन ग्रुप ऑफ इण्डस्ट्रीज, भीलवाड़ा (जुलाई, 2013 तक) श्री नरेन्द्र छाजेड़ (जुलाई, 2013 से)	सदस्य (गैर सरकारी)

मण्डल का कार्यक्षेत्र समूचा प्रदेश है। इसका मुख्यालय जयपुर में है तथा जयपुर सहित कुल 13 स्थानों पर इसके क्षेत्रीय कार्यालय स्थापित हैं। मुख्यालय पर स्थापित केन्द्रीय प्रयोगशाला के अतिरिक्त राज्य के चार अन्य स्थानों पर मण्डल की क्षेत्रीय प्रयोगशालाएं भी स्थापित की गई हैं। आठ नवीन क्षेत्रीय प्रयोगशालाएं, अन्य क्षेत्रीय कार्यालयों में स्थापित करने का काम प्रगति पर है। मण्डल में विभिन्न स्तरों के कुल 370 स्वीकृत पदों के विरूद्ध 274 अधिकारी एवं कर्मचारी कार्यरत रहे जो तकनीकी, विधि, लेखा एवं सामान्य संवर्गो में विभाजित हैं।

वर्ष 2013–14 के दौरान सम्पूर्ण मण्डल की दो बैठकें क्रमशः दिनांक 28.06.2013 एवं 30.09.2013 को आयोजित की गईं।

मण्डल की प्रमुख गतिविधियाँ

सम्मति प्रबंधन, परिसंकटमय, जैव चिकित्सा एवं नगरीय ठोस अपशिष्टों हेतु प्राधिकार, परिसंकटमय अपशिष्ट के पुनर्चक्रण एवं प्लास्टिक अपशिष्ट हेतु पंजीकरण, उद्योगों से उत्सर्जित प्रदूषित जल एवं वायु की जांच, पर्यावरण संरक्षण के प्रति चेतना एवं जल तथा वायु अधिनियमों में उल्लिखित कृत्यों का निर्वहन मण्डल की प्रमुख गतिविधियाँ हैं। वर्ष 2013–14 के दौरान मण्डल की तत्संबंधी कार्यवाही का संक्षिप्त विवरण निम्नानुसार है:–

सम्मति एवं प्राधिकार प्रबंधन

1. वर्ष 2013–14 के दौरान राज्य मण्डल द्वारा औद्योगिक इकाइयों एवं अन्य परियोजनाओं के जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1974 एवं वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियत्रण) अधिनियम, 1981 के अर्न्तगत स्थापना एवं संचालन सम्मति के कुल 10955 आवेदन पत्रों का निस्तारण किया गया।
2. वर्ष 2013–14 के दौरान राज्य मण्डल द्वारा खनन इकाइयों के जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1974 एवं वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981 के अन्तगत स्थापना एवं संचालन सम्मति के कुल 23650 आवेदन पत्रों का निस्तारण किया गया।

3. वर्ष 2013–14 के दौरान राज्य मण्डल द्वारा परिसंकटमय अपशिष्ट (प्रबन्धन, हथालन एवं सीमापार संचालन) नियम, 2008 के अन्तर्गत कुल 185 प्राधिकार आवेदन पत्रों का निस्तारण किया गया।

4. वर्ष 2013–14 के दौरान राज्य मण्डल द्वारा जैव चिकित्सा अपशिष्ट (प्रबन्धन एवं हथालन) नियम, 1998 के अन्तर्गत कुल 1059 प्राधिकार आवेदन पत्रों का निस्तारण किया गया।

5. वर्ष 2013–14 के दौरान राज्य मण्डल द्वारा नगरीय ठोस अपशिष्ट (प्रबन्धन एवं हथालन) नियम, 2000 के अन्तर्गत कुल 1 प्राधिकार आवेदन पत्र का निस्तारण किया गया।

परिसंकटमय अपशिष्ट प्रबंधन एवं हथालन

परिसंकटमय अपशिष्ट (प्रबन्धन, हथालन एवं सीमापार संचालन) नियम, 2008 के प्रावधानों के अन्तर्गत राज्य में आलोच्य वर्ष तक परिसंकटमय अपशिष्ट उत्पन्न करने वाले 1005 उद्योगों को चिन्हित किया गया है। इन चिन्हित उद्योगों में से 157 उद्योग वर्तमान में बंद है अथवा परिसंकटमय अपशिष्ट जनित नहीं करते हैं, 66 उद्योगों में परिसंकटमय अपशिष्ट की मात्रा बहुत कम है एवं 105 उद्योगों में परिसंकटमय अपशिष्ट मात्र उनके डी. जी. सेट/ कम्प्रेशर से निकलने वाले spent/ used oil के रूप में है। शेष 646 उद्योगों में परिसंकटमय अपशिष्ट की मात्रा अधिक होने से उन्हें परिसंकटमय अपशिष्ट जनित करने वाले उद्योगों की सूची में रखा गया है।

इन 646 उद्योगों से जनित परिसंकटमय अपशिष्ट की अनुमानित मात्रा लगभग 808512 मैट्रिक टन प्रति वर्ष है। इस अपशिष्ट की अधिकांश मात्रा मैसर्स हिन्दुस्तान जिंक लिमिटेड (6 इकाईयाँ) एवं सामूहिक उच्छिष्ट उपचार संयन्त्रों (6 इकाईयाँ) से जनित होती है एवं जिनकी अनुमानित मात्रा क्रमशः लगभग 597425 एवं 10233 मैट्रिक टन प्रति वर्ष (कुल 607658 मैट्रिक टन प्रति वर्ष) है, जबकि राज्य के अन्य उद्योगों से जनित परिसंकटमय अपशिष्ट की अनुमानित मात्रा लगभग 200854 मैट्रिक टन प्रतिवर्ष है।

परिसंकटमय अपशिष्ट हेतु सामूहिक उपचार, भण्डारण एवं निस्तारण सुविधा

राज्य के उद्योगों से जनित परिसंकटमय अपशिष्ट के नियमानुसार निष्पादन के लिए राज्य में सामूहिक उपचार, भण्डारण एवं निस्तारण की सुविधाओं का विकास किया गया है। इन निस्तारण सुविधाओं से संबंधित विवरण निम्नानुसार हैः–

1. ग्राम गुड़ली, तहसील मावली, जिला उदयपुर – सामूहिक उपचार, भण्डारण एवं निस्तारण सुविधा।
2. ग्राम खेड़, तहसील बालोतरा, जिला बाड़मेर – सामूहिक उपचार, भण्डारण एवं निस्तारण सुविधा।
3. अन्य सुविधाएँ – उच्च कैलोरी क्षमता वाले परिसंकटमय अपशिष्ट के निस्तारण हेतु बहरोड़, जिला अलवर में मैसर्स कान्टीनेन्टल पेट्रोलियम प्रा0 लि0 में स्थित भस्मक (incinerator) को सामूहिक भस्मीकरण (incineration) हेतु प्राधिकृत किया गया है।

जैव चिकित्सा अपशिष्ट प्रबन्धन एवं हथालन

वर्ष 2013–2014 तक राज्य मण्डल द्वारा जैव चिकित्सा अपशिष्ट (प्रबन्धन एवं हथालन) नियम, 1998 के प्रावधानों के अन्तर्गत राज्य में 500 एवं अधिक बिस्तरों के 12 अस्पतालों, 200 से 499 बिस्तरों के 49 अस्पतालों, 50 से 199 बिस्तरों के 244 अस्पतालों, 49 बिस्तरों तक के 2610 अस्पतालों एवं 1250 डायग्नोस्टिक सेन्टर, परामर्श केन्द्र आदि को चिन्हित किया गया है इनसे अनुमानतः 16837.81 किलोग्राम जैव चिकित्सा अपशिष्ट प्रतिदिन उत्पन्न होता है।

जैव चिकित्सा अपशिष्ट हेतु सामूहिक उपचार, भण्डारण एवं निस्तारण सुविधा

राज्य में जैव चिकित्सा अपशिष्ट के निस्तारण हेतु वर्ष 2013–14 तक कुल 11 सामूहिक उपचार, भण्डारण एवं व्ययन सुविधाओं का विकास कर कार्यरत किया गया है। इसके अतिरिक्त धौलपुर जिले में स्थित हैल्थ केयर इस्टेब्लिशमेंट्स से जनित जैव चिकित्सा अपशिष्ट का निस्तारण आगरा (उत्तर प्रदेश) में स्थित सामूहिक उपचार, भण्डारण एवं व्ययन सुविधा में भी किया जाता है।

जैव चिकित्सा अपशिष्ट निस्तारण हेतु विकसित सामूहिक उपचार, भण्डारण एवं व्ययन सुविधाओं का विवरण निम्नानुसार है :–

क्र.सं.	सामूहिक सुविधा स्थल का नाम एवं कार्यस्थल	लाभान्वित शहर / जिले
1	इन्सट्रोमेटिक इण्डिया प्रा. लि., ग्राम–खोरिपारा, आगरा रोड, जयपुर।	जयपुर (सिटी)
2	राजपूताना बायोटेक प्रा. लि., ग्राम – खोरिपारा, आगरा रोड, जयपुर।	जयपुर ग्रामीण एवं दौसा
3	एनविजन एनवायरो इंजिनियर्स प्रा. लि., ग्राम–उमरदा, उदयपुर।	जिला उदयपुर, राजसमंद, बांसवाडा, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़, एवं डूंगरपुर
4	सेल्स प्रमोटर, ग्राम–केरू, जैसलमेर रोड, जोधपुर।	जिला जोधपुर, पाली
5	सेल्स प्रमोटर, ग्राम–सांदरिया, अजमेर	जिला अजमेर, भीलवाडा एवं नागौर (आंशिक)
6	इटेक प्रोजेक्ट, गोगा गेट, बीकानेर	जिला बीकानेर, नागौर (आंशिक) एवं चूरू
7	इटेक प्रोजेक्ट, अभोर बाईपास रोड, हनुमानगढ़	जिला हनुमानगढ़ एवं श्रीगंगानगर
8	हॉसविन इन्सीनरेटर, जैलवैल के सामने, खसरा नं. 645/256, रून्डी धूनी नाथ, अलवर।	जिला अलवर एवं भरतपुर
9	हॉसविन राजपुताना इन्सीनरेटर, ग्राम–थिनला, सवाईमाधोपुर।	जिला सवाईमाधोपुर, टोंक एवं करौली
10	हॉसविन इन्सीनरेटर, ग्राम–धानवारा, झालावाड	जिला झालावाड एवं बाराँ
11	राजदीप बायोटेक, ग्राम–बोरावास, कोटा	जिला कोटा एवं बून्दी

संयुक्त उच्छिष्ट उपचार संयंत्र

राज्य में लघु श्रेणी के वस्त्र उद्योग समूह मुख्य रूप से पाली, जोधपुर, बालोतरा, जसोल, बिठुजा एवं साँगानेर में कार्यरत हैं। इन लघु उद्योगों के पास स्वयं के स्तर पर प्रदूषित जल के उपचार हेतु समुचित उच्छिष्ट उपचार संयंत्र लगाने के लिए न तो आवश्यक तकनीक है और न ही आवश्यक धनराशि उपलब्ध होती है। अतः इस तरह के उद्योग समूह से जनित प्रदूषित जल को उपचारित करने हेतु संयुक्त उच्छिष्ट उपचार संयंत्र की स्थापना की जाती है।

राज्य में लघु उद्योग समूहों से जनित जल प्रदूषण के नियंत्रण हेतु वर्ष 2013–14 तक बारह संयुक्त उच्छिष्ट उपचार संयंत्रों की स्थापना की जा चुकी है। इन बारह संयुक्त उच्छिष्ट उपचार संयंत्रों में से चार संयुक्त उच्छिष्ट उपचार संयंत्र पाली (जिला पाली) में लघु श्रेणी के वस्त्र उद्योगों के लिए, दो–दो संयुक्त उच्छिष्ट उपचार संयंत्र बालोतरा (जिला बाड़मेर) एवं जसोल (जिला बाड़मेर) में कार्यरत लघु वस्त्र उद्योगों के लिए, एक संयुक्त उच्छिष्ट उपचार संयंत्र बिठुजा (जिला बाड़मेर) में वहाँ कार्यरत लघु वस्त्र उद्योगों के लिए, एक संयुक्त उच्छिष्ट उपचार संयंत्र जोधपुर (जिला जोधपुर) में वहाँ कार्यरत लघु वस्त्र एवं स्टील री–रोलिंग उद्योगों के लिए तथा एक संयुक्त उच्छिष्ट उपचार संयंत्र मानपुर–माचेड़ी (जिला जयपुर) में वहाँ स्थापित चर्म शोधन उद्योगों के लिए कार्यरत है। इसके अतिरिक्त एक संयुक्त उच्छिष्ट उपचार संयंत्र भिवाड़ी (जिला अलवर) में रीको औद्योगिक क्षेत्र में स्थित जल प्रदूषक उद्योगों के लिए भी कार्यरत है। भिवाडी स्थित संयुक्त उच्छिष्ट उपचार संयंत्र में औद्योगिक क्षेत्र एवं समीप की आवासीय बस्तियों का घरेलू उच्छिष्ट भी पहुंचता है। इन संयुक्त उच्छिष्ट उपचार सयंत्रो का विवरण निम्नानुसार हैः–

राज्य में कार्यरत संयुक्त उच्छिष्ट उपचार संयंत्र

क्रसं	संयुक्त उच्छिष्ट उपचार संयंत्र एवं स्थान	स्थापना/ प्रारम्भ वर्ष	संयुक्त उच्छिष्ट उपचार क्षमता	उद्योग जिनके लिए व्यवस्था स्थापित की गई
1	प्रथम संयंत्र (पाली सी.ई.टी.पी. –1) मण्डिया रोड़ औद्योगिक क्षेत्र, जिला पाली	1983	05.20 एम.एल.डी.	वस्त्र उद्योग
2	द्वितीय संयंत्र (पाली सी.ई.टी.पी. –2) मण्डिया रोड़ औद्योगिक क्षेत्र, जिला पाली	1997	08.40 एम.एल.डी.	वस्त्र उद्योग
3	तृतीय संयंत्र (पाली सी.ई.टी.पी. –3) पुनायता रोड, जिला पाली	1999	09.08 एम.एल.डी.	वस्त्र उद्योग
4.	चतुर्थ संयंत्र (पाली सी.ई.टी.पी. –4) औद्योगिक क्षेत्र, पुनायता, जिला पाली	2009	12.00 एम.एल.डी.	वस्त्र उद्योग
5	प्रथम संयंत्र (बालोतरा सी.ई.टी.पी. –1) बालोतरा, जिला बाडमेर	2000	06.00 एम.एल.डी.	वस्त्र उद्योग

6	द्वितीय संयंत्र (बालोतरा सी.ई.टी.पी. –2) बालोतरा, जिला बाडमेर	2006	12.00 एम.एल.डी.	वस्त्र उद्योग
7	जसोल, जिला बाडमेर	2004	02.50 एम.एल.डी.	वस्त्र उद्योग
8	जसोल, जिला बाडमेर	2013	4.00 एम.एल.डी.	वस्त्र उद्योग
9	बिठुजा, जिला बाडमेर	2006	30.00 एम.एल.डी.	वस्त्र उद्योग
10	सांगरिया औद्योगिक क्षेत्र, द्वितीय चरण, सांगरिया, जिला जोधपुर	2004	20.00 एम.एल.डी.	वस्त्र एवं स्टील री–रोलिंग उद्योग
11	रीको औद्योगिक क्षेत्र, भिवाड़ी, जिला अलवर	2004	06.00 एम.एल.डी	जल प्रदूषक उद्योग एवं आवासीय बस्तियों का मल–जल
12	रीको औद्योगिक क्षेत्र, मानपुरा माचेडी, तहसील आमेर, जिला जयपुर	2002	00.60 एम.एल.डी.	चर्मशोधन उद्योग

मल–जल (सीवेज) उपचार संयत्र

राज्य में वर्ष 2013–14 तक कार्यरत एवं निर्माणाधीन मल–जल उपचार संयंत्रों का विवरण निम्न तालिकाओं में दिया गया है।

राज्य के कार्यरत मल–जल (सीवेज) उपचार संयत्र

क्र.सं.	स्थल	क्षमता (एम.एल.डी.)
1	आमेर रोड़, जिला–जयपुर	27
2	डेलावास–I, जिला–जयपुर	62.5
3	डेलावास–II, जिला–जयपुर	62.5
4	जयसिंहपुरा खोर, जिला–जयपुर	50
5	जवाहर सर्किल, जिला–जयपुर	1
6	रामनिवास गार्डन जिला–जयपुर	1
7	अग्यारा रामगढ़, जिला–अलवर	20
8	भिवाड़ी जिला–अलवर	4
9	नान्दड़ी, जिला–जोधपुर	20
10	सालावास (फेज– I), जिला–जोधपुर	50
11	सवाईमाधोपुर, जिला–सवाईमाधोपुर	10
12	वल्लभ गार्डन, जिला–बीकानेर	20
13	भीलवाड़ा सीवेज ट्रीटमेण्ट प्लांट I, जिला– भीलवाड़ा	5.5
14	गजोधर पुरा, जिला–जयपुर	30
15	एकलिंगपुरा, उदयपुर, जिला–उदयपुर	20
16	स्वर्ण जयंती पार्क, विद्याधर नगर, जिला–जयपुर	1

राज्य के निर्माणाधीन मल–जल (सीवेज) उपचार संयंत्र

क्र.स.	स्थल	क्षमता (एम.एल.डी.)
1	किशनघाट, जिला – जैसलमेर	10
2	गनाहेरा पुष्कर, जिला – अजमेर	3.5
3	आनासागर, जिला – अजमेर	13
4	खानपुर, जिला–अजमेर	40
5	बालवा रोड़, जिला– नागौर	8
6	पी.एच.ई.डी, (आर यू आई डी पी), तहसील व जिला– बाड़मेर	10
7	पी.एच.ई.डी, करौली, जिला– करौली	5
8	गोपाल नांगला, जिला–भरतपुर	8
9	तागावाली गांव, राजाखेड़ा, जिला– धौलपुर	10
10	मोइखेड़ा, जिला–चित्तोड़गढ़	5
11	किशोरपुरा व लाड़पुरा, जिला– कोटा	30
12	बलीता लाड़पुरा, जिला–कोटा	6
13	ग्राम देवपुरा, जिला– बून्दी	8
14	सुमेरपुर, पाली, जिला–पाली	10
15	माउण्ट आबू, जिला– सिरोही	6
16	सीकर, जिला –सीकर	10
17	सरदार शहर, जिला–चूरू	9.6
18	सरदार शहर, जिला–चूरू	4
19	ग्राम सराय नथानिया, जिला– बीकानेर	12
20	श्री गंगानगर अबोहर बाई पास, रेलवे ट्रेक के पास, हनुमानगढ़, जिला– हनुमानगढ़	7.5
21	चक 3 के. जे. एन., गंगागढ़ रोड़ के पास, जिला–हनुमानगढ़	5
22	प्रतापपुरा, जिला–राजसमन्द	5
23	झालरापाटन, जिला–झालावाड़	3
24	आवासन मण्डल, टोंक, जिला–टोंक	1.016
25	सेन्ट्रल पार्क, जिला–जयपुर	1
26	रलावता, जिला–जयपुर	30
27	किशन नगर, जिला–अजमेर	10
28	खानपुरा, जिला–अजमेर	20
29	मकराना, जिला नागौर	6
30	फतेहपर–शेखावटी, जिला–सीकर	7.5
31	झालरापाटन, जिला–झालावाड़	6
32	भीलवाड़ा सीवेज ट्रीटमेण्ट प्लांट II, जिला– भीलवाड़ा	4.5

प्रदूषित जल एवं वायु की जांच

वर्ष 2013–14 के दौरान राज्य मण्डल की प्रयोगशालाओं द्वारा जल, उच्छिष्ट, परिवेशी वायु, उत्सर्जित गैसों एवं ध्वनि स्तर के नमूनों के विश्लेषण संबंधी विवरण निम्नानुसार हैः–

नमूनों के प्रकार	विश्लेषित नमूनों की संख्या
जल / उच्छिष्ट	3088
उत्सर्जित वायु / गैस	409
परिवेशी वायु	37756
ध्वनि स्तर	476
योग	41729

जनचेतना

पर्यावरण संरक्षण के प्रति जनचेतना जाग्रत करने एवं प्रदूषण संबंधी शिकायतों के निराकरण हेतु मण्डल में प्रदूषण जागरूकता एवं सहायता केन्द्र कार्यरत है।

वर्ष 2013–14 के दौरान राज्य मण्डल के मुख्य कार्यालय द्वारा पर्यावरण / जल / वायु के प्रदूषण से संबंधित शिकायतों के निराकरण संबंधी की गई कार्यवाही का विवरण निम्नानुसार है :–

1.4.2013 को लम्बित शिकायतों की संख्या	वर्ष के दौरान प्राप्त शिकायतों की संख्या	योग	वर्ष के दौरान निष्पादित शिकायतों की संख्या	31.3.2014 को लम्बित शिकायतों की संख्या
40	61	101	71	30

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005

- सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अन्तर्गत राज्य लोक सूचना अधिकारियों को कुल 204 आवेदन पत्र प्राप्त हुए। इन सभी प्रकरणों में मांगकर्ता द्वारा मांगी गई सूचना की आपूर्ति की गई।
- सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अन्तर्गत अपील अधिकारी के समक्ष 42 अपीलें दायर की गईं। इन सभी का निस्तारण किया गया।

पर्यावरण समाघात निर्धारण अधिसूचना, 2006

- भारत सरकार की अधिसूचना दिनांक 14.09.2006 के अन्तर्गत राज्य मण्डल द्वारा आलोच्य वर्ष में 10 विभिन्न औद्योगिक एवं अन्य परियोजनाओं, 15 आधारभूत परियोजनाओं तथा 18 खनन परियोजना प्रकरणों की जन सुनवाई आयोजित की गई एवं प्रकरण वन एवं पर्यावरण मंत्रालय, भारत सरकार अथवा राज्य स्तरीय पर्यावरण प्रभाव निर्धारण प्राधिकरण, राजस्थान को अग्रेषित किये गये।

विधिक कार्यवाही

- राज्य सरकार द्वारा पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम 1986 की धारा 5 के अन्तर्गत जारी, अधिसूचना दिनांक 21.07.2010 के तहत राज्य में प्लास्टिक कैरी बैग के उपयोग, विनिर्माण, भण्डारण, आयात, विक्रय या परिवहन को दिनांक 01.08.2010 से प्रतिबन्धित किया गया एवं निर्देश दिये गये कि कोई व्यक्ति जिनमें कोई दुकानदार, विक्रेता, थोक विक्रेता या फुटकर विक्रेता, व्यापारी, फेरी लगाने वाला या रेडी वाला सम्मलित है, माल के प्रदाय के लिए प्लास्टिक कैरी बैग का उपयोग नहीं करेगा। इस अधिसूचना के उल्लंघनकर्ताओं के विरूद्ध पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 15 के अन्तर्गत अभियोजन दायर किये जाने का प्रावधान है।
- जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1974, वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981 एवं पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के प्रावधानों का उल्लंघन करने के कारण राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल द्वारा विभिन्न उद्योगों/ खनन इकाइयों/ व्यक्तियों/ प्रतिष्ठांनों के विरूद्ध वर्ष 2013–14 में कुल 9 अभियोजन दायर किये गये।
- वर्ष 2013–14 में राज्य मण्डल द्वारा विभिन्न अधिनियमों का उल्लंघन करने के कारण कुल 231 इकाइयों को बंद करने के निर्देश जारी किये गये। इनमें से जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1974 के प्रावधानों का उल्लंघन करने पर अधिनियम की धारा 33 ए के अन्तर्गत 69 इकाइयों, वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981 के प्रावधानों का उल्लंघन करने पर अधिनियम की धारा 31 ए के अन्तर्गत 115 इकाइयों एवं जल व वायु अधिनियम के अन्तर्गत 43 इकाइयों को तथा पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986 की धारा 5 के अन्तर्गत 4 इकाइयों के विरूद्ध निर्देश जारी किये गये।

विविध गतिविधियाँ

राज्य मण्डल द्वारा केन्द्र सरकार की सहायता से प्रारम्भ की गई एक परियोजना के अन्तर्गत राज्य के चुनिंदा स्थानों पर परिवेशीय वायु की मोनिटरिंग का कार्य किया जा रहा है। वर्तमान में इस अनुश्रवण कार्यक्रम के अन्तर्गत राज्य के 5 प्रमुख नगरों के औद्योगिक, आवासीय एवं व्यावसायिक क्षेत्रों में 21 स्थानों पर परिवेशी वायु गुणवत्ता का अनुश्रवण किया जा रहा है। वायु गुणवत्ता अनुश्रवण के इस कार्य के लिए अलवर, कोटा एवं उदयपुर में 3–3 स्थानों पर तथा जयपुर एवं जोधपुर में 6–6 स्थानों पर परिवेशी वायु नमूनों को एकत्रित करने हेतु प्रबोधन केन्द्र स्थापित किये हुए हैं।

मण्डल द्वारा केन्द्र सरकार की सहायता से प्रारम्भ की गई एक अन्य परियोजना के तहत राज्य के चुनिंदा स्थानों पर सतही एवं भूगर्भीय जल स्त्रोतों के जल की गुणवत्ता के आंकलन के लिए नियमित रूप से जल के नमूनों का एकत्रीकरण एवं विश्लेषण किया जा रहा है। राज्य मण्डल द्वारा राज्य के 21 जिलों के 128 केन्द्रों पर प्राकृतिक जल की गुणवत्ता जांचने हेतु जल स्त्रोतों का प्रबोधन किया जा रहा है। उपरोक्त स्थानों में नदियों के जल के नमूने एकत्र करने की आवृति मासिक, झीलों की त्रैमासिक एवं कुओं की अर्द्ध वार्षिक है। 126 जल नमूना एकत्रीकरण केन्द्रों में से 15 केन्द्र नदियों पर, 27 केन्द्र झीलों पर एवं 86 केन्द्र भूगर्भीय जल स्थानों (कुए, हैण्डपम्प, ट्यूबवेल) पर चिन्हित किए हुए हैं।

राज्य मण्डल के वित्त एवं लेखे

वर्ष 2013–14 के दौरान राज्य मण्डल की आय एवं व्यय का विवरण निम्नानुसार है :–

आय (लाख रूपये में)		व्यय (लाख रूपये में)	
विवरण	राशि	विवरण	राशि
के. प्र. नि. मण्डल से प्राप्त अनुदान	65.86	वेतन एवं अन्य स्थापना व्यय	1435.61
जल उपकर पुनर्भरण	0.00	कार्यालय व्यय	295.43
सम्मति शुल्क	4575.31	प्रयोगशाला व्यय	6.45
पी.डी.खाते से ब्याज	59.93	विज्ञापन एवं प्रकाशन	97.55
बैंक / एफ.डी.आर. पर ब्याज	2492.52	अनुसंधान एवं विकास	24.36
अन्य ब्याज	12.36	पूंजीगत व्यय	238.19
विविध आय	3.43	के. प्र. नि. मण्डल से प्राप्त राशि के विरुद्ध व्यय	26.32
नमूना विश्लेषण	8.31		
बी.एम.डब्ल्यू.	103.08		
योग	7320.80	योग	2123.91

जल उपकर निर्धारण एवं वसूली

वर्ष 2013–14 के दौरान जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) उपकर अधिनियम, 1977 के अन्तर्गत राज्य मण्डल द्वारा जल उपकर निर्धारण, वसूली, केन्द्रीय सरकार को प्रेषित राशि एवं केन्द्रीय सरकार से पुनर्भरण राशि का विवरण निम्नानुसार है :

उपकर राशि का विवरण	राशि (रूपयों में)
जल उपकर निर्धारण की राशि	207445197
जल उपकर के रूप में वसूल की गई राशि	131495702
केन्द्रीय सरकार को प्रेषित जल उपकर की राशि	139637832
केन्द्रीय सरकार से जल उपकर पुनर्भरण की राशि	0

रा.प्र.नि.म.

राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल

Printed by : RRSM Ltd., JAIPUR